40 लोग आर-पार हुए हैं लाहुल स्पीति में पहली हवाई सेवा शुरू होने पर। रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद से फंसे लोगों को राहत मिली है। इस बार उड़ान के लिए 500 के करीब लोगों ने आवेदन किया है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 26 दिसंबर 2019

एनपीआर को लेकर भी भ्रम

सोशल मीडिया पर एनपीआर के लिए लोगों से मांगी जाने वाली जानकारियों को लेकर अफवाह का दौर चल पड़ा है। इसी बीच सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर के तहत पहली बार सरकार माता-पिता की जन्म तिथि और जन्मस्थान समेत 21 बिंदुओं पर जानकारी चाह रही है। 2010 के एनपीआर में ऐसा कुछ नहीं था। जबकि हकीकत तो यह है कि अभी तक एनपीआर के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को सरकार ने अंतिम रूप ही नहीं दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में कोई जुड़ाव नहीं है, ये दोनों प्रक्रियाएं अलग हैं। साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि एनपीआर के आंकड़ों का एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

15 सूचनाएं 2010 के दौरान एनपीआर के तहत मांगी गई थीं

21 सूचनाएं 2020 में जानकारियां लोगों को देनी होंगी

2010 में आया एनपीआर

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सन 2010 में एनपीआर लाया गया था। तब 2011 की जनगणना के समय इसके लिए आंकड़े जुटाए गए थे। बाद में 2015 में इसे अपडेट किया गया था।

क्या दी जा रही है दलील

गैरकानूनी रूप से भारत में आए घुसपैठियों को चिह्नित करने वाली एनआरसी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में इसे विवादित बताया जा रहा है। सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) के तहत 1987 के बाद जन्म लेने वाले लोगों के कम से कम एक अभिभावक का नागरिक होना जरूरी है। आलोचक सोशल मीडिया पर यह आशंका जता रहे हैं कि माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि की जानकारी की जरूरत तो राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करते समय होगी। इस आशय का बयान पूर्व में सरकार भी दे चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि 2010 के दौरान एनपीआर के तहत 15 सूचनाएं मांगी गई थीं। 2020 में 21 जानकारियां लोगों को देनी होंगी।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

नागरिकता अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय पहचान पत्र आवंटन नियम 2003 के नियमों के तहत भारत में रहने वाले लोगों के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहले से ही एनआरसी असम में लागू है, लिहाजा उसे एनपीआर अलग रखा गया है। इसमें घर-घर जाकर कर्मचारी लोगों की जानकारी एकत्र करेंगे। वे टैबलेट के माध्यम से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डाटा लेंगे। जिनका आधार नंबर नहीं है, वे इसके लिए आवेदन देकर नामांकन संख्या कर्मी को देंगे। इस दौरान किसी प्रकार के कागजात नहीं मांगे जाएंगे। देश की जनगणना 1948 के जनगणना कानून के तहत की जाती है।

2010 के एनपीआर में मांगी गई जानकारियां

1	नाम
2	घर के मुखिया से संबंध
3	पिता का नाम
4	माता का नाम
5	पत्नी का नाम (विवाहित होने की स्थिति में)
6	लिंग
7	जन्म तिथि
8	वैवाहिक स्थिति
9	जन्म स्थान
10	राष्ट्रीयता
11	सामान्य नागरिक का वर्तमान पता
12	वर्तमान स्थल पर रहने की अवधि
13	स्थायी आवासीय पता
14	पेशा या कार्य
15	शैक्षणिक योग्यता

एनआरसी से अलग है एनपीआर

एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत के सामान्य नागरिकों का डाटा एकत्र करने के लिए लाया गया है। इसके जरिए नागरिकता तय नहीं होती।

2020 के लिए प्रस्तावित जानकारियां

1	नाम
2	घर के मुखिया से संबंध
3	लिंग
4	जन्मतिथि
5	वैवाहिक स्थिति
6	शैक्षणिक योग्यता
7	पेशा या कार्य
8	माता-पिता व पत्नी का नाम
9	जन्म स्थान
10	वर्तमान पता
11	वर्तमान स्थल पर रहने की अवधि
12	राष्ट्रीयता
13	स्थायी आवासीय पता
	इस बार ये हैं नए
14	आधार नंबर (स्वैच्छिक)
15	मोबाइल नंबर
16	माता-पिता की जन्म तिथि व जन्म स्थान
17	अंतिम आवासीय स्थान
18	पासपोर्ट नंबर (यदि है तो...)
19	मतदाता पहचान पत्र नंबर
20	पैन नंबर
21	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर

इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना

सरकार की तैयारी ▶ एक से दो साल के भीतर उपलब्ध होंगे विभिन्न पैरामीटर पर जनगणना से जुड़े सभी आंकड़े

सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद

नीलू रंजन, नई दिल्ली

भारत में पहली बार 16वीं जनगणना पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। डिजिटल होने की वजह से विभिन्न पैरामीटर पर जनगणना के आंकड़े एक से दो साल के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। इसके पहले कागज पर जुटाए आंकड़ों की पूरी रिपोर्ट जारी करने में आठ से 10 साल तक लग जाते थे। 2011 में हुई जनगणना के कई मानकों पर आखिरी रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं हो पाई है। रिपोर्ट वक्त से आने पर सरकार को जरूरतमंद वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

जनगणना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिजिटल डाटा जुटाने के लिए जनगणना में लगे 30 लाख से अधिक कर्मचारी एंड्रायड पर आधारित स्मार्टफोन या टैब का प्रयोग करेंगे। इसके लिए विशेष एप विकसित किया गया है। कर्मचारियों को सभी व्यक्तियों के आंकड़े इसी एप के सहारे डिजिटल फार्म में भरना होगा। सारे आंकड़े भरे जाने के बाद उसे सेव करते ही ये आंकड़े केंद्रीय स्तर पर कार्यरत जनगणना 2021 प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सेंसस 2021 मैनेजमेंट एंड मॉनीटरिंग सिस्टम) में सुरक्षित हो जाएगा।

प्रतीकात्मक

अधिकारी ने कहा कि इस एप को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह उन जगहों पर भी काम करेगा, जहां इंटरनेट का नेटवर्क नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जनगणनाकर्मी इंटरनेट के नेटवर्क में आने के बाद आंकड़ों को सेव कर सकेंगे।

इसके पहले 2011 की जनगणना में हर व्यक्ति से जुड़े आंकड़े को ए3 साइज के कागज पर जुटाया गया था। इसके बाद एक-एक कागज को स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में बदला गया था। जाहिर है कि 2011 में 121 करोड़ लोगों के आंकड़े डिजिटल रूप में लाने में कई वर्ष लग गए थे। इसके बाद इन आंकड़ों का अलग-अलग पैरामीटर पर विश्लेषण किया जाता है, जिसे समय-समय पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जारी करता है।

अधिकारी ने बताया कि 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण इस साल तक चल रहा है। इससे सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जब सरकार किसी एक पैरामीटर पर गरीबों के लिए कोई योजना बनाती है, तबतक ये आंकड़े बदल चुके होते हैं। ऐसे में सभी जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है।

इस बार जनगणना में कई नए पैरामीटर के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इनमें मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट का उपयोग तक शामिल है। यह भी देखा जाएगा कि लोगों के घर की छत, दीवारें और फर्श किस चीज की बनी हैं। साथ ही परिवार में गैस, बिजली और पानी के उपयोग के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यह भी पूछा जाएगा कि किरायेदार के अलावा जो अपने-अपने घरों में रह रहे हैं, वह घर परिवार के किस सदस्य के नाम पर है और परिवार के किस-किस सदस्य के बैंक में खाते हैं। यदि एक-डेढ़ साल के भीतर देश के सभी नागरिकों से इस तरह के आंकड़े मिल जाते हैं, तो जाहिर है सरकार के लिए उनके विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

वैसे हर बार की तरह इस बार भी जनगणना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में 2020 में अप्रैल से सितंबर के बीच जनगणनाकर्मी पूरे देश में सभी घरों की गणना करेंगे, जिसमें घर में रहने वाले परिवार के पास पशुओं की संख्या आदि के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

इसी दौरान एनपीआर से जुड़े आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। वहीं, असली जनगणना दूसरे चरण में 2021 में नौ फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच होगी, जब जनगणनाकर्मी देश में रहने वाले एक-एक व्यक्ति की जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद एक मार्च से लेकर सात मार्च तक तीसरे चरण में दूसरे चरण की जानकारियों की पुष्टि की जाएगी और इस दौरान नौ से 28 फरवरी के बीच पैदा हुए बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

अभी नहीं हुआ है तय एनपीआर में होंगे कौन से सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एनपीआर के दौरान लोगों से पूछे जाने वाले सवालों पर मचे विवाद के बीच गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अभी तक सवालों की सूची तैयार ही नहीं हुई है। मंत्रालय के अनुसार जनगणनाकर्मियों की ट्रेनिंग के दौरान कुछ सवालों को जरूर शामिल किया गया था। कुछ लोग इन्हीं सवालों के आधार पर एनपीआर को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि नए एनपीआर में पिछली बार के मुकाबले बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 15 बिंदु थे अब 21 बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इसमें एक सवाल माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि के बारे में भी होगा। इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह एनआरसी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन गृहमंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एनपीआर के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सुशासन की कसौटी पर कसे जाएंगे राज्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में सुशासन की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) जारी किया। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने जीजीआइ को जारी किया। उन्होंने कहा कि जीजीआइ को शासन के विभिन्न मानकों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है।

जीजीआइ का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डाटा उपलब्ध कराना, शासन में सुधार के लिए उचित रणनीति बनाने और लागू करने में उन्हें सक्षम बनाना और उनके यहां परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासन की स्थापना करना है। मानक तय करते समय ये आसान हों और उन्हें सहजता से समझा और उनकी गणना की जा सके। लोगों के हित में हों और जिनके लागू करने से नतीजे हासिल हों।

जीजीआइ में मुख्यतौर पर 10 क्षेत्रों के हालात पर गौर किया जाएगा। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, जनस्वास्थ, सार्वजनिक ढांचा और सुविधाएं, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास, न्यायिक और लोक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी 10 क्षेत्रों को 50 बिंदुओं के आधार पर मापा जाएगा। मूल्य की गणना के लिए एक शासन क्षेत्र के तहत इन बिंदुओं के अलग-अलग महत्व होंगे।

जितेंद्र सिंह। फाइल

- केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक लांच किया
- कृषि और उद्योग समेत 10 क्षेत्रों की 50 बिंदुओं पर होगी समीक्षा

उदाहरण के लिए, कृषि और संबंधित क्षेत्र के तहत विभिन्न महत्व वाले छह बिंदु होंगे। जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर, अनाज उत्पादन की विकास दर, दुग्ध उत्पादन की विकास दर, मांस उत्पादन की विकास दर और फसल बीमा इत्यादि।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में रखा गया है। पहले समूह में बड़े राज्य हैं, दूसरे समूह में पूर्वोत्तर के राज्य और तीसरे समूह में पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं।

27 को मिग-27 को अलविदा कह देगी वायुसेना

नई दिल्ली, आइएएनएस : एक के बाद एक हुईं कई दुर्घटनाओं के बाद भारतीय वायुसेना आखिरकार 27 दिसंबर को मिग-27 विमानों को अलविदा कह देगी। राजस्थान के जोधपुर में तैनात इन विमानों की आखिरी स्क्वाड्रन इस हफ्ते आखिरी बार उड़ान भर रही है।

भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सात मिग-27 विमानों की आखिरी स्क्वाड्रन 27 दिसंबर को आखिरी बार जोधपुर एयर बेस से उड़ान भरेगी और उसके बाद इन विमानों को सेवा से हटा दिया जाएगा। यह भी एक इतिहास होगा क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इस समय मिग-27 विमान सेवा में नहीं हैं। इन विमानों को 1980 के आसपास के वर्षों में तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा गया था। तीन दशक से ज्यादा समय तक देश की गौरवशाली सेवा के दौरान इन विमानों ने कारगिल समेत विभिन्न अभियानों में अपनी महत्ता साबित की।

इन विमानों का जीवनकाल पहले ही खत्म हो चुका है और हाल ही में देशभर से इन विमानों में तकनीकी खराबियों की खबरें सामने आई थीं। 31 मार्च को जोधपुर में सिरोही के पास एक गांव में मिग-27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद चार सितंबर को भी जोधपुर के ही पास एक मिग-27 क्रैश हो गया था। इसमें विमान के पायलट और को-पायलट की जान चमत्कारिक रूप से बच गई थी।

भव्य मंदिर से पहले एक लाख घरों में स्थापित होंगे रामलला

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

- गणपति भवन और दिल्ली के अग्रोहा भवन में शुरू हुआ वितरण
- भव्य मंदिर में विराजमान होने वाली मूर्ति की कल्पना पर हुआ इन मूर्तियों का निर्माण

रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजें, इससे पूर्व रामलला की मूर्ति एक लाख घरों तक पहुंचाने की योजना है। यह मुहिम रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण परिवार की है। मंदिर निर्माण परिवार की ओर से 10 हजार मूर्तियां निर्मित भी करा ली गई हैं और उन्हें वितरण के लिए गत सप्ताह ही नाका स्थित गणपति गेस्ट हाउस एवं दिल्ली के अग्रोहा भवन तक पहुंचा भी दिया गया है। हालांकि ये मूर्तियां आस्था और कला की दृष्टि से कहीं अधिक कीमती हैं पर न्योछावर के रूप में प्रति मूर्ति दो हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया गया है। सफेद संगमरमर पर तराशी गई बाल रूप राम की यह मूर्ति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है।

नयनाभिराम और जीवंत मूर्ति को कमलासन का अग्रभाग, धनुष-बाण का शिरा, शिखा और वस्त्र पर भव्यता प्रदान की गई है। मंदिर निर्माण परिवार से जुड़े नरेश कुमार गुप्त के अनुसार इस मूर्ति की कल्पना कुछ उसी तरह की है, रामलला की जैसी मूर्ति अयोध्या में बनने वाले भव्य मंदिर में स्थापित होगी। उन्होंने बताया कि मूर्ति यह सुनिश्चित करने के साथ दी जा रही है कि वह घर के ड्राइंग रूम की शोपीस न बने बल्कि घरों के पूजा गृह की शान बढ़ाए।

जयपुर में निर्मित मूर्तियों की पहली खेप आए चार दिन बीत चुके हैं। इस अभियान के मार्गदर्शकों में शुमार समाजसेवी भागीरथ पचेरीवाला के अनुसार जल्द ही समारोह पूर्वक मूर्ति वितरण कार्यक्रम का आरंभ किया जाएगा।

मंदिर निर्माण परिवार के साथ विहिप का आशीर्वाद : सुप्रीम फैसला आने से कुछ पूर्व ही रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण परिवार का जिक्र गूंजा। नरेश गुप्त के अनुसार चंपत राय एवं राजेंद्र सिंह पंकज जैसे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण परिवार का गठन किया गया। भागीरथ पचेरीवाला स्पष्ट करते हैं कि इस परिवार का उद्देश्य मंदिर निर्माण के पक्ष में वातावरण तैयार करना है।

राम मंदिर ट्रस्ट के गठन पर विचार करेगा विहिप

नई दिल्ली, आइएएनएस : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) 27 दिसंबर से कर्नाटक के मंगलुरु शहर में तीन दिवसीय चिंतन बैठक करेगा। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट समेत घुसपैठ, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अपने फैसले में इस कार्य के लिए नौ फरवरी, 2020 तक एक ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि इस ट्रस्ट में कौन-कौन लोग शामिल होंगे। विहिप के सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के गठन के साथ ही मंदिर निर्माण के लिए भी सुझाव लिए जाएंगे।

उप्र के पीएफ घोटाले में कई पर शिकंजा जल्द

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के बिजली कर्मियों के पीएफ घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) जल्द कई अन्य आरोपितों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ब्रोकर फर्मों व उनके बैंक खातों की पड़ताल में कई नए तथ्य सामने आए हैं। कमीशन की रकम को ठिकाने लगाने में चार अन्य संदिग्धों के बारे में और गहराई से छानबीन कराई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी पीएफ घोटाले में मनी लांड्रिंग को लेकर अपनी जांच के कदम बढ़ाए हैं।

ईओडब्ल्यू ने निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश के बदले ब्रोकर फर्मों को दिए गए कमीशन व उनसे जुड़े खातों की पड़ताल कर ली है। सूत्रों का कहना है कि ईओडब्ल्यू के हाथ कई ऐसे खातों की जानकारी लगी है, जिनमें कमीशन की रकम भेजी गई। इन खातों का फर्जी ब्रोकर फर्मों से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जिस तरह विभिन्न फर्मों व खातों में रकम ट्रांसफर कर काले धन को सफेद करने का खेल किया गया, उसमें इनके संचालकों की भी भूमिका रही है। मामले में डीएचएफएल की लखनऊ शाखा में तैनात तत्कालीन कर्मचारी अमित प्रकाश की आरोपित सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता व उनके बेटे अभिनव गुप्ता से सांठगाठ भी सामने आई थी। एक आरोपित पंकज गिरि उर्फ नीशू ने फर्जी नाम-पतों पर ब्रोकर फर्मों का रजिस्ट्रेशन भी कराया था। ध्यान रहे, पीएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी, सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता समेत अब तक 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

उद्धव सरकार ने सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटाई, आदित्य की बढ़ाई

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटा दी है, जबकि शिवसेना विधायक व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाकर 'जेड श्रेणी' की कर दी है। राज्य सरकार ने यह फैसला उस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है, जिसने गणमान्य लोगों को दी गई सुरक्षा व खतरों की समीक्षा की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि समिति ने हाल ही में आयोजित बैठक में भारतरत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर और आदित्य ठाकरे के अलावा 90 से ज्यादा गणमान्य लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की। सचिन को 'एक्स श्रेणी' की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जो अब हटा ली गई है। 'एक्स श्रेणी' के तहत 46 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, पूर्व राज्यसभा सदस्य तेंदुलकर जब भी घर से बाहर जाएंगे तो उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। आदित्य को अब 'जेड श्रेणी' की सुरक्षा प्रदान की गई है यानी अब उनकी सुरक्षा में ज्यादा जवान मौजूद होंगे। मुंबई के वर्ली के 29 वर्षीय विधायक को पहले 'वाई प्लस श्रेणी' की सुरक्षा उपलब्ध थी।

राकांपा प्रमुख की सुरक्षा यथावत, अन्ना की बढ़ी : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार को दी गई 'जेड प्लस श्रेणी' और उनके भतीजे अजीत पवार की 'जेड श्रेणी' की सुरक्षा बरकरार रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सुरक्षा 'वाई प्लस श्रेणी' से बढ़ाकर 'जेड श्रेणी' की कर दी गई है।

आदित्य ठाकरे और सचिन तेंदुलकर। फाइल

नाइक, खड़से, शिंदे व निकम की सुरक्षा घटाई गई : उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक का सुरक्षा घेरा 'जेड प्लस' से घटाकर 'एक्स श्रेणी' कर दिया गया है। इसी प्रकार भाजपा सरकार में मंत्री रहे एकनाथ खड़से और रामनाथ शिंदे की भी सुरक्षा घटा दी गई है। वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल धमाके समेत अन्य कई बड़े मामलों में सरकार की पैरवी करने वाले उज्ज्वल निकम की भी सुरक्षा घटा दी गई है। पहले उनके पास 'जेड प्लस श्रेणी' की सुरक्षा थी, जिसे घटाकर 'वाई श्रेणी' की कर दी गई है। हालांकि, उन्हें एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती रहेगी। अटकलें हैं कि भाजपा सरकार में मंत्री रहे कई लोगों की सुरक्षा भी आने वाले दिनों में घटा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 'एक्स श्रेणी' के तहत दो जवान दिए जाते हैं, जबकि 'वाई श्रेणी' और 'जेड श्रेणी' प्राप्त गणमान्य व्यक्ति को क्रमशः 11 व 22 जवान सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सचिन के प्रशंसकों ने सरकार को घेरा: आइएएनएस के अनुसार, सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटाए जाने और आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर ट्विटर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। उनके प्रशंसकों ने जहां सरकार को घेरा, वहीं कुछ लोगों ने इसे सही बताया। एक प्रशंसक ने लिखा, 'महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? व्यक्तिगत लाभ के लिए खुला पागलपन...?' दूसरे ने लिखा, 'भगवान को सुरक्षा की जरूरत नहीं।' एक अन्य ने लिखा, 'कुछ गलत नहीं हुआ है... वह मौजूदा क्रिकेटर नहीं हैं..।'

कम विधायकों के साथ सरकार बनाना पवार से सीखा : उद्धव

पुणे, प्रेट्र : राकांपा प्रमुख शरद पवार ने यह शिक्षा दी है कि छोटी जगह में कैसे विकास किया जाता है और प्रतिद्वंद्वी से कम सीटें पाने के बाद कैसे सरकार बनाई जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को यह कहा। मुख्यमंत्री वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालाना आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस संस्थान के चेयरमैन राकांपा प्रमुख शरद पवार भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने संबोधन में ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को घेरने से भी पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अकसर कहा करते थे कि भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है फिर भी उसके हाथों से सत्ता जाती रही।

मिसाल

साझे प्रयास से 30 साल में 225 वर्ग किमी क्षेत्र में लौट आया भूजल, 80 बंधियां आईं अस्तित्व में, जल संचयन के लिए छेड़ी गई प्रेरक मुहिम बनी खुशहाली का सबब

जल संरक्षण

सत्याग्रही की पुकार सुन पठार हो गया जलसंकट से मुक्त

अरुण मिश्र, सोनभद्र

टांगी छोड़ कुदाल उठाओ बंधी नई बनाओ रे, पानी रोको पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ रे... यह नारा तीन दशक पहले गूंजा और फिर हालात बदलते तक गूंजता रहा। सोनभद्र, उप्र का 225 वर्ग किमी पठारी क्षेत्र आज जलसंकट से पूरी तरह मुक्त हो गया है।

बात 30 साल पहले की है जब कनहर नदी के बीच के पठारी क्षेत्र की आबादी हर साल गर्मी के पांच महीने पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस जाया करती थी। ऐसे में एक नाम उभरा और ये नाम है नरेंद्र नीरव का। बीएचयू से पढ़े राबर्ट्सगंज निवासी नरेंद्र नीरव ने क्षेत्र में एक-एक बूंद के लिए तड़पते जीवन को बड़े ही नजदीक से महसूस किया था। हालांकि जल संचयन को लेकर पहले से भी काम हो रहे थे। उसके नेतृत्वकर्ता थे वनवासी सेवा आश्रम के बाबुल भाई। नरेंद्र कहते हैं कि कुलडोमरी के आसपास पानी के अकाल और बाबुल भाई के प्रयास को देखा था। यही प्रयास जल संरक्षण के सत्याग्रह की प्रेरणा का स्रोत बना। तिलगुड़वा से हाथीनाला के बीच, सात किमी लंबे दोनों तरफ के क्षेत्र को जलसंकट से उबारने के लिए नरेंद्र ने हर किसी को माध्यम बनाया। हर हाथ से काम लिया। हर जुबां को नारा दिया। आदिवासियों के जीवन, खेती, पशुपालन और जंगल को समृद्ध बनाने के लिए बच्चों, महिलाओं यहां तक कि बाहरी सहयोगियों के श्रम का भी सहारा लिया गया। इसी का परिणाम है कि कुओं में पानी का स्तर 15 से 20 फुट तक ऊपर आ गया है।

सोनभद्र, उप्र में जल संरक्षण अभियान में सहभाग करते ग्रामीण। सौ. नीरव (फाइल फोट)

घोर जंगल में बसी कोटा और पनारी जैसे गांवों के लोगों को दूर-दूर से पानी ढोने की जिल्लत से मुक्ति मिल गई है। नरेंद्र नीरव कहते हैं कि यह एक ऐसा सत्याग्रह था, जिसमें सभी का प्रयास रहा। किसी एक के प्रयास से सफलता प्राप्त करना मुश्किल था। इस दौरान शहीद दीपेंद्र घोषाल के नाम से यहां एक सरोवर भी बनवाया गया। आधे अंशदान व आधे श्रमदान के जरिए क्षेत्र में 80 से अधिक बंधियों (जल संचयन के लिए) का निर्माण कराया गया। इस अभियान में सक्रिय रहे ओबरा परियोजना के तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ आरके गुप्ता कहते हैं, मुझ जैसे अनेक लोगों के प्रयास और श्रमदान से यह संभव हुआ।

जब हम पोखरों, तालाबों, सरोवरों, बंधियों की गहराई बढ़ाने के लिए परिश्रम करें, तब याद रखें कि मिट्टी सही जगह पर डाली जाए ताकि गहराई के साथ जलाशय की ऊंचाई भी बढ़े और तटबंध मजबूत हो। इस मकसद से डाली गई नई मिट्टी की कुटाई भी बहुत जरूरी है अन्यथा नई मिट्टी पहली बरसात में ही बह कर जलाशय को पाट देगी या बह चली जाएगी।

-नरेंद्र नीरव, समाजसेवी, सोनभद्र, उप्र

किसान ने बनवाया मोदी का मंदिर

तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले के किसान पी. शंकर, जिन्होंने अपनी कृषि भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। तिरुचिरापल्ली से करीब 63 किलोमीटर दूर इराकुडी गांव निवासी 50 वर्षीय किसान शंकर द्वारा बनवाए गए इस मंदिर का उद्घाटन पिछले ही सप्ताह हुआ है। इसके निर्माण पर करीब 1.2 लाख रुपये की लागत आई है। प्रतिमा में मोदी के पसंदीदा स्टाइल का चश्मा, सफेद बाल व दाढ़ी का पूरा खयाल रखा गया है। शंकर ने कहा, 'मुझे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला और इसके कारण मैं प्रधानमंत्री को पसंद करता हूं।' प्रेट्र